पत्र संख्या-विधि-4(1)-पंजीयन (2015-16) परिपत्र भाग-3 / 517/1516022 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ दिनॉक 26 जून , 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या- विधि-4(1)-पंजीयन/ (2013-2014/ 980 / 1314050/वाणिज्य कर दिनॉक 30-9-2013 से वाणिज्य कर विभाग में आन लाइन पंजीकरण हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त परिपत्र में कतिपय अभिलेखों के केवल सबंधित पृष्ठ तथा जमानतनामे के प्रथम व अंतिम पृष्ठ अपलोड किये जाने की व्यवस्था की गयी तथा निर्देशित किया गया है कि सम्बंधित जॉच अधिकारी द्वारा जॉच के समय उक्त अभिलेखों की स्व प्रमाणित पूर्ण प्रति एवं जमानतनामे की स्व प्रमाणित मूल प्रति प्राप्त कर पत्रावली पर रखी जायेगी।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पंजीयन जॉच के समय जॉच अधिकारियों (सर्वेकर्ता अधिकारियो) द्वारा पंजीयन से सम्बंधित उक्त प्रपत्र/ जमानती बाण्ड की प्रतियॉ व्यापारियों से प्राप्त करके सम्बन्धित पंजीयन पत्रावलियों पर नही रखवाये जा रहे हैं। यह स्थिति उचित नहीं है और मुख्यालय के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अत: मुख्यालय के उक्त परिपत्र दिनॉक 30-9-13 के क्रम में पुन:निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने-अपने अधीनस्थ समस्त पंजीयन / जॉच अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें कि उक्त परिपत्र से प्रसारित निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्व प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0 प्र0 के आदेश के क्रम में प्रेषित हैं।

भवदीय,
(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ